

# प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

## अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/86814/SBL/SAMBHAL/567/CFO

दिनांक: 22-06-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **BAL VIDYA MANDIR SR. SEC. SCHOOL MOHALLA ALAM SARIA SAMBHAL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **0, MOHALLA ALAM SARIA SAMBHAL, SAMBHAL** तहसील - **SAMBHAL**, प्लॉट एरिया **6317.73 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **5359.60** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **4** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	3	0	10.80 mt.
BLOCK B	2	0	7.20 mt.
BLOCK C	2	0	7.20 mt.
BLOCK D	3	0	7.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **BAL VIDYA MANDIR SR. SEC. SCHOOL MOHALLA ALAM SARIA SAMBHAL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **26-06-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **HARISH CHANDRA GARG** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **28-06-2023** से **27-06-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **BAL VIDYA MANDIR SR. SEC. SCHOOL MOHALLA ALAM SARIA SAMBHAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **BAL VIDYA MANDIR SR. SEC. SCHOOL MOHALLA ALAM SARIA SAMBHAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** प्रश्रगत भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में तथा संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखने, एवं भवन में विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित से प्राप्त करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। ब्लॉक डी की ऊँचाई की उँचाई त्रुटिवश 7.20 अंकित हो गयी है, जिसे 10.80 पढ़ा जाय। शासनादेश के अनुसार सैटबैक का निर्धारण सत्ताप्राधिकारी/नियतप्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। शासनादेश 18 CHH PU 8 2022 905 34 2016 TC DATE 07 01 2022 तथा एफएसएसओ संभल कि संस्तुति आख्या के आधार पर उक्त प्रमाण पत्र निर्गत है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(Krishna Kant Ojha)

[BDE88D5B82F9A790FE3FF488DC912ED060F0ADCD]

28-06-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 28-06-2023  
स्थान : SAMBHAL

**Manish Panwar**  
Principal  
Bal Vidya Mandir  
Sr. Sec. School, Sambhal  
(School Number-81124)

**Manager**  
Bal Vidya Mandir  
Sr. Sec. School, Sambhal